सत्यमेव जयते

आर एफ डी

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

हेतु

परिणामी रूपरेखा दस्तावेज

(2009-2010)

विज़न, मिशन और कार्य

विज़न स्टेटमेन्ट

उत्तम कार्यशील दशाएं तथा श्रमिकों के जीवन की उन्नत गुणवत्ता, भारत में बच्चों से संकटपूर्ण सेक्टरों में श्रम न कराया जाना सुनिश्चित करना तथा रोजगार सेवाओं एवं कौशल विकास द्वारा रोजगारपरकता का स्थायी आधार पर संवर्धन करना।

विज़न सहायता

मिशन स्टेटमेन्ट

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी उपाय प्रदान करने, कार्य की दशाओं को विनियमित करने, श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, संकटपूर्ण व्यवसायों व प्रक्रमों से बाल श्रम के उन्मूलन, श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुदृढ़ बनाने तथा कौशल विकास एवं रोजगार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नीतियां/कार्यक्रम/योजनाएं/परियोजनाएं स्थापित एवं क्रियान्वित करते हुए श्रमिकों की कार्यशील दशाएं सुधारना व उनके जीवन की गुणवत्ता उन्नत बनाना।

मिशन सहायता

कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य	
1.	श्रम तथा प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना एवं केंद्रीय रूप से मजदूरियों, तथा कार्य की अन्य दशाओं को विनियमित करना।	
2.	जिन इकाईयों में केंद्र सरकार, उपयुक्त सरकार है, उनके संदर्भ में औद्योगिक संबंध उन्नत बनाने के लिए श्रम कानून अधिनिर्णयों, अनुबंधों, अनुशासन संहिता इत्यादि का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।	
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम कानूनों, औद्योगिक संबंधों, कार्मिक नीतियों तथा प्रविधियों इत्यादि के क्रियान्वयन संबंधी मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करना।	
4.	खदानों एवं फैक्टरियों में कार्य की दशाओं व सुरक्षा नियमों को विनियमित करना।	
5.	राष्ट्रीय मजदूरी नीति के लिए व्यावहारिक कार्य करना तथा मजदूरियों, समस्त भत्तों एवं अन्य संबंधित मामलों के डेटा का रखरखाव करना।	
6.	विविध श्रम विषयों पर पूछताछ, सर्वेक्षण तथा अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करना।	
7.	प्रशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केंद्रों के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की रोजगार संभावनाओं से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करना।	
8.	खनन उद्योग तथा बीड़ी उत्पादन में नियुक्त श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान करना।	
9.	बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास में सहायता करना।	
10.	असंगठित श्रमिकों के कुछ निश्चित सेक्शनों के लिए कल्याणकारी उपाय करना।	
11.	औद्योगिक संबंधों तथा श्रम के क्षेत्र में सामान्य प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान एवं सलाहकार सेवाओं के दायित्व स्वीकार करना।	
12.	राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में कुशाग्रतापूर्वक भागीदारी के लिए श्रमिकों के सभी सेक्शनों	

	को शिक्षित बनाना।	
13.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन की निगरानी करना।	
14.	राष्ट्रीय रोजगार सेवा के लिए नीतिगत रूपरेखा, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन।	

उद्देश्यों की सूची

क्र. सं.	उद्देश्य	
1.	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपायों का संवर्धन करना।	
2.	संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।	
3.	संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन करना।	
4.	कौशल विकास को बढ़ावा देना	
5.	रोजगार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना	
6.	औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना।	
7.	कर्मचारियों की सुरक्षा दशाएं एवं सुरक्षा उन्नत बनाना	
*	आरएफडी प्रणाली का कार्यक्षम संचालन	

*** अनिवार्य उद्देश्य(यों)**

उद्देश्यों से चयनित मुख्य उद्देश्य

क्र. सं.	मुख्य उद्देश्य	उद्देश्य	भार %	लॉक भार
1.	☑	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपायों का संवर्धन करना।	15	☑
2.	☑	संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।	11	☑
3.	☑	संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन करना।	15	☑
4.	☑	कौशल विकास को बढ़ावा देना	20	☑
5.	☑	रोजगार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना	12	☑
6.	☑	औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना।	11	☑
7.	☑	कर्मचारियों की सुरक्षा दशाएं एवं सुरक्षा उन्नत बनाना	11	☑
*		आरएफडी प्रणाली का कार्यक्षम संचालन	5%	☑
		कुल भार	**100**	

*** अनिवार्य उद्देश्य(यों)**

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय हेतु परिणामी रूपरेखा दस्तावेज (2009-2010)

कार्यवाही की सूची

क्र. सं.	कार्य	भार %	कार्यवाही	
1.	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपायों का संवर्धन करना।	15	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का क्रियान्वयन बीड़ी श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन	
2.	संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।	11	कर्मचारियों की राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के क्रियान्वयन की दक्षता बढ़ाना कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना	
3.	संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन करना।	15	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का संचालन बाल श्रम उन्मूलन के लिए भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का कन्वर्जेन्स	
4.	कौशल विकास को बढ़ावा देना	20	आईटीआई'ज को घरेलू वित्तपोषण द्वारा उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के रूप में उन्नयन करना। विश्व बैंक की सहायता से आईटीआई'ज को सीओई के रूप में उन्नयन करना। सरकारी आईटीआई'ज का सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा उन्नयन करना। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत मॉडुलर एम्प्लॉयबल स्किल्स (एमईएस) पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना। पूर्वोत्तर के राज्यों एवं जम्मू कश्मीर में आईटीआई'ज का उन्नयन एवं स्थापना। महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना,	

			सम्बद्धता हेतु सभी आवेदनों का निस्तारण किया जाना।	
5.	रोजगार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना	12	राष्ट्रीय रोजगार नीति का प्रतिपादन रोजगाररत व्यक्तियों पर रिपोर्ट तैयार किया जाना कोचिंग, मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के नौकरी के इच्छुकों का कल्याण निःशक्तों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी) तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाओं (एसटीडब्ल्यू) एवं ग्रामीण पुनर्वास केंद्रों (आरआरसी) का संचालन और स्थापनाएं। ईई पर सर्विस सपोर्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज (ईईएमएमपी) मॉडल का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।	
6.	औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना।	11	श्रमिकों को राहत एवं लाभ प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन औद्योगिक विवादों का निबटारा केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु कम्प्यूटरों का प्राविधान	

			केंद्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के अधिकारियों का प्रशिक्षण।	
7.	कर्मचारियों की सुरक्षा दशाएं एवं सुरक्षा उन्नत बनाना	11	श्रमिकों की सुरक्षा दशाओं एवं सुरक्षा बेहतर बनाना और फैक्टरियों तथा गोदियों में कार्यशील दशाएं एवं सुरक्षा में सुधार खदानों में कार्यशील दशाओं में सुधार।	
*	आरएफडी प्रणाली का कार्यक्षम संचालन	5	अनुमोदन हेतु प्रारूप समय से जमा किया जाना परिणामों को समय पर जमा करना। रणनीतिक योजना को अंतिमीकृत करना	

*** अनिवार्य उद्देश्य(यों)**

खण्ड 2

सफलता सूचकों की सूची

	उद्देश्य	भार	कार्यवाही	कार्यवाही भार	सफलता सूचक	यूनिट	भार
▣	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपायों का संवर्धन करना।	15.00	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का क्रियान्वयन	10.00	शामिल किए गए जिले	सं.	4.00
					जारी किए गए स्मार्ट कार्ड	सं. (करोड़ में)	4.00
					अध्ययन का समापन और कार्य योजना का निर्माण	तारीख	2.00
			बीड़ी श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन	5.00	बीड़ी बनाने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति मंजूर	सं. (लाख में)	2.00
					घर बनाने के लिए अनुदान की मंजूरी	सं.	2.00
					योजना के क्रियान्वयन के मूल्यांकन के लिए अध्ययन करवाया जाना	तारीख	1.00
▣	संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।	11.00	कर्मचारियों की राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के क्रियान्वयन की दक्षता बढ़ाना	6.00	नये केन्द्र खोले	सं.	1.00
					राज्य सरकार के अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों सहित कुल बिस्तरों की संख्या में वृद्धि	सं.	2.00
					चिकित्सा कर्मियों (डॉक्टरों) में वृद्धि	सं.	2.00
					ईएसआईसी और ईएसआईसी मॉडल अस्पतालों के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आईएसओ प्रमाणन हासिल करना	सं.	1.00
			कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना	5.00	वृद्धावस्था लाभ (30 दिनों के अन्दर दावों के निस्तारण का प्रतिशत)	%	2.00
					प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि	सं.	1.00

					सदस्यता में वृद्धि	सं.	1.00
					कम्प्यूटरीकृत कार्यालयों की संख्या	सं.	1.00
▣	संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन करना।	15.00	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का संचालन	9.00	विशेष स्कूलों में नामांकित बच्चे	सं.	3.00
					विशेष स्कूलों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाना	सं.	3.00
					एनसीएलपी में शामिल स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निगरानी और बेंच मार्किंग का विकास	तारीख	3.00
			बाल श्रम उन्मूलन के लिए भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का कन्वर्जेन्स	6.00	एनसीएलपी और बाल श्रमिकों के अभिभावकों सहित उसके लाभार्थियों तक विस्तारित की गई कल्याण योजनाओं की संख्या	सं.	6.00
▣	कौशल विकास को बढ़ावा देना	20.00	आईटीआई'ज को घरेलू वित्तपोषण द्वारा उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के रूप में उन्नयन करना।	1.00	जारी की गई धनराशि	रु. (करोड़ में)	1.00
			विश्व बैंक की सहायता से आईटीआई'ज को सीओई के रूप में उन्नयन करना।	4.00	जारी की गई धनराशि	रु. (करोड़ में)	4.00
			सरकारी आईटीआई'ज का सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा उन्नयन करना।	6.00	आईटीआई की आईएमसी सोसाइटियों को ब्याज मुक्त लोन प्रदायन	रु. (करोड़ में)	6.00
			कौशल विकास कार्यक्रम के तहत मॉडुलर एम्प्लॉयबल स्किल्स (एमईएस) पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना।	4.00	एमईएस के तहत प्रशिक्षण पाने वाले लोग	सं.	4.00

			पूर्वोत्तर के राज्यों एवं जम्मू कश्मीर में आईटीआई'ज का उन्नयन एवं स्थापना।	1.00	सिक्किम में 2 आईटीआई और असम में 1 आईटीआई की स्थापना की परियोजना को पूरा करने के लिए जारी धन	रु. (करोड़ में)	0.50
					जम्मू में एक नए महिला आईटीआई की स्थापना और जम्मू एवं कश्मीर में 37 मौजूदा आईटीआई का सुदृढ़ीकरण (चालू योजना) की परियोजना को पूरा करने के लिए जारी धन	रु. (करोड़ में)	0.50
			महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना	1.00	लंबी अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने के लिए महिलाओं की संख्या	सं.	0.80
					कम अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने के लिए महिलाओं की संख्या	सं.	0.20
			सम्बद्धता हेतु सभी आवेदनों का निस्तारण किया जाना।	3.00	बैठने की क्षमता में वृद्धि	सं.	3.00
▣	रोजगार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना	12.00	राष्ट्रीय रोजगार नीति का प्रतिपादन	2.00	मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट के लिए अंतिम नोट भेजा जा रहा है	तारीख	2.00
			रोजगाररत व्यक्तियों पर रिपोर्ट तैयार किया जाना	1.00	रिपोर्ट की तैयारी की शुरूआत	तारीख	1.00
			कोचिंग, मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के नौकरी के इच्छुकों का कल्याण	4.00	रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/ जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को व्यावसायिक और कैरियर संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध कराना	सं.	1.00

					रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/ जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्ति की प्रतीक्षा अवधि के दौरान टाइपिंग और शॉर्टहैंड का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना	सं.	1.00
					प्रतियोगी परीक्षाओं/ ग्रेड सी पदों के लिए सेलेक्शन टेस्ट के लिए अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीदवारों को तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना	सं.	1.00
					अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगार इच्छुक व्यक्तियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना	सं.	1.00
			निःशक्तों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी) तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाओं (एसटीडब्ल्यू) एवं ग्रामीण पुनर्वास केंद्रों (आरआरसी) का संचालन और स्थापनाएं।	3.00	वीआरसी की भर्ती	सं.	1.00
					प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन पूरा हुआ	सं.	1.00
					पीडब्ल्यूडी का पुनर्वास	सं.	1.00
			ईई पर सर्विस सपोर्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज (ईईएमएमपी) मॉडल का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।	2.00	व्यय वित्त समिति और कैबिनेट नोट तैयार करने और सभी संबंधित अधिकारियों को उसके प्रचलन की स्वीकृति	तारीख	2.00
▣	औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना।	11.00	श्रमिकों को राहत एवं लाभ प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन	4.00	निरीक्षण किया गया	सं.	2.00

					अनियमितता तथा रोजगार प्रदाताओं को तय सीमा के भीतर दंडात्मक कार्यवाही से बचने हेतु सुधार करने की सलाह देने की औपचारिक नोटिस जारी करने में लिया गया समय।	सं.	1.00
					अनियमितताओं को नहीं सुधारने हेतु अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज करने में लिया गया समय।	सं.	1.00
			औद्योगिक विवादों का निबटारा	4.00	वह समय जिसमें समझौता, मध्यस्तता तथा सामाजिक संवाद के जरिए निपटारा संपन्न हुआ।	सं.	2.00
					समझौता असफलता (एफओसी) रिपोर्ट सौंपने का समय, जहां कोई आगामी निपटारा न हो।	सं.	2.00
			केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु कम्प्यूटरों का प्राविधान	2.00	कंप्यूटर प्रदान किए गए	सं.	2.00
			केंद्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के अधिकारियों का प्रशिक्षण।	1.00	अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया	सं.	1.00

▣	कर्मचारियों की सुरक्षा दशाएं एवं सुरक्षा उन्नत बनाना	11.00	श्रमिकों की सुरक्षा दशाओं एवं सुरक्षा बेहतर बनाना और फैक्टरियों तथा गोदियों में कार्यशील दशाएं एवं सुरक्षा में सुधार	6.00	डायरेक्ट्रेट जेनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस एंड लेबर इंस्टीट्यूट (डीजीएफएएसएलआई) के सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट (सीएलआई) और रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट (आरएलआई) स्थिति विभिन्न प्रयोगशालाओं का समुन्नयन	रु. (करोड़ में)	2.00
					डीजीएफएएसएलआई द्वारा अध्ययनों/सर्वेक्षणों का आयोजन	सं.	2.00
					प्रमुख बंदरगाहों में प्रवर्तन संबंधी क्रियाकलाप (जहाजों, कंटेनरों आदि का निरीक्षण)	सं.	1.00
					रेस्पिरेटरी और नॉन-रेस्पिरेटरी पीपीई की जांच	सं.	1.00
			खदानों में कार्यशील दशाओं में सुधार।	5.00	डायरेक्ट्रेट जेनरल माइंस सेफ्टी (डीजीएमएस) द्वारा निरीक्षण	सं.	2.00
					डीजीएमएस द्वारा पूछताछ	सं.	2.00
					डीजीएमएस में खान प्रबंधक, सर्वेयर और अन्य खान के अधिकारियों की योग्यता का प्रमाण पत्र प्रदान	सं.	1.00
▣	आरएफडी प्रणाली का कार्यक्षम संचालन	5.00	अनुमोदन हेतु प्रारूप समय से जमा किया जाना		समय पर प्रस्तुत करने में विलंब (नियत तारीख 29 नवम्बर, 2009 से)	संख्या	40.00
			परिणामों को समय पर जमा करना।		समय पर प्रस्तुत करने में विलंब (नियत तारीख 30 अप्रैल, 2010 से)	संख्या	40.00

			रणनीतिक योजना को अंतिमीकृत करना		अगले 5 वर्षों (देय तिथि से 12 फ़रवरी, 2010) के लिए रणनीतिक योजना की कार्य योजना को अंतिम रूप देने में देरी	संख्या	20.00

समग्र दृश्य

क्र. सं.	उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
							100%	90%	80%	70%	60%
1.	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपायों का संवर्धन करना।	15	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का क्रियान्वयन	शामिल किए गए जिले	सं.	0.6	200	180	160	140	120
				जारी किए गए स्मार्ट कार्ड	सं. (करोड़ में)	0.6	1.20	1.08	0.96	0.84	0.72
				अध्ययन का समापन और कार्य योजना का निर्माण	तारीख	0.3	31.3.2010	-	-	-	-
			बीड़ी श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन	बीड़ी बनाने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति मंजूर	सं. (लाख में)	0.3	16	15	14	13	12
				घर बनाने के लिए अनुदान की मंजूरी	सं.	0.3	28970	26073	23176	20279	17382
				योजना के क्रियान्वयन के मूल्यांकन के लिए अध्ययन करवाया	तारीख	0.15	31.03.2010	-	-	-	-
2	संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।	11	कर्मचारियों की राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के क्रियान्वयन की दक्षता बढ़ाना	नये केन्द्र खोले	सं.	0.11	54	50	46	42	38
				राज्य सरकार के अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों सहित कुल बिस्तरों की संख्या में वृद्धि	सं.	0.22	100	95	90	85	80
				चिकित्सा कर्मियों (डॉक्टरों) में वृद्धि	सं.	0.22	763	700	650	600	550
				ईएसआईसी और ईएसआईसी मॉडल अस्पतालों के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आईएसओ प्रमाणन हासिल करना	सं.	0.11	12	11	10	9	8

			कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना	वृद्धावस्था लाभ (30 दिनों के अन्दर दावों के निस्तारण का प्रतिशत)	%	0.22	85	80	75	70	65
				प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि	सं.	0.11	40000	38000	36000	34000	32000
				सदस्यता में वृद्धि	सं.	0.11	2400000	22000 00	20000 00	18000 00	16000 00
				कम्प्यूटरीकृत कार्यालयों की संख्या	सं.	0.11	27	25	23	21	20
3.	संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन करना।	15	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का संचालन	विशेष स्कूलों में नामांकित बच्चे	सं.	0.45	25,000	22,500	20,000	17,500	15,000
				विशेष स्कूलों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाना	सं.	0.45	20,000	18,000	16,000	14,000	12,000
				एनसीएलपी में शामिल स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निगरानी और बेंच मार्किंग का विकास।	तारीख	0.45	31.03.2010	-	-	-	-
			बाल श्रम उन्मूलन के लिए भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का कन्वर्जेन्स	एनसीएलपी और बाल श्रमिकों के अभिभावकों सहित उसके लाभार्थियों तक विस्तारित की गई कल्याण योजनाओं की संख्या	सं.	0.9	2	1	-	-	-
4.	कौशल विकास को बढ़ावा देना	20	आईटीआई'ज को घरेलू वित्तपोषण द्वारा उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के रूप में उन्नयन करना।	जारी की गई धनराशि	रु. (करोड़ में)	0.2	16.00	14.4	12.8	11.2	9.6

			विश्व बैंक की सहायता से आईटीआई'ज को सीओई के रूप में उन्नयन करना।	जारी की गई धनराशि	रु. (करोड़ में)	0.8	240	216	192	168	144
			सरकारी आईटीआई'ज का सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा उन्नयन करना।	आईटीआई की आईएमसी सोसाइटियों को ब्याज मुक्त लोन प्रदायन	रु. (करोड़ में)	1.2	750	675	600	525	450
			कौशल विकास कार्यक्रम के तहत मॉडुलर एम्प्लॉयबल स्किल्स (एमईएस) पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना।	एमईएस के तहत प्रशिक्षण पाने वाले लोग	सं.	0.8	120000	108000	96000	84000	72000
			पूर्वोत्तर के राज्यों एवं जम्मू कश्मीर में आईटीआई'ज का उन्नयन एवं स्थापना।	सिक्किम में 2 आईटीआई और असम में 1 आईटीआई की स्थापना की परियोजना को पूरा करने के लिए जारी धन	रु. (करोड़ में)	0.1	5.52	4.97	4.41	3.86	3.31
				जम्मू में एक नए महिला आईटीआई की स्थापना और जम्मू एवं कश्मीर में 37 मौजूदा आईटीआई का सुदृढ़ीकरण (चालू योजना) की परियोजना को पूरा करने के लिए जारी धन	रु. (करोड़ में)	0.1	12.76	11.48	10.21	8.93	7.65

			महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना	लंबी अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने के लिए महिलाओं की संख्या	सं.	0.16	3650	3285	2920	2555	2190
				कम अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने के लिए महिलाओं की संख्या	सं.	0.04	3500	3150	2800	2450	2100
			सम्बद्धता हेतु सभी आवेदनों का निस्तारण किया जाना।	बैठने की क्षमता में वृद्धि	सं.	0.6	150000	135000	120000	105000	90000
5.	रोजगार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना	12	राष्ट्रीय रोजगार नीति का प्रतिपादन	मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट के लिए अंतिम नोट भेजा जा रहा है	तारीख	0.24	31.03.2010	-	-	-	-
			रोजगाररत व्यक्तियों पर रिपोर्ट तैयार किया जाना	रिपोर्ट की तैयारी की शुरूआत	तारीख	0.12	31.03.2010	-	-	-	-
			कोचिंग, मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के नौकरी के इच्छुकों का कल्याण	रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/ जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को व्यावसायिक और कैरियर संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध कराना	सं.	0.12	135000	121000	108000	94500	81000

				रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/ जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्ति की प्रतीक्षा अवधि के दौरान टाइपिंग और शॉर्टहैंड का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना	सं.	0.12	10500	9450	84 00	7350	6300
				प्रतियोगी परीक्षाओं/ ग्रेड सी पदों के लिए सेलेक्शन टेस्ट के लिए अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीदवारों को तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना	सं.	0.12	1100	990	880	770	660
				अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगार इच्छुक व्यक्तियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना	सं.	0.12	1000	900	800	700	600
			निःशक्तों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी) तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाओं (एसटीडब्ल्यू) एवं ग्रामीण पुनर्वास केंद्रों (आरआरसी) का	वीआरसी की भर्ती	सं.	0.12	28000	25200	22400	19600	16800
				प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन पूरा हुआ	सं.	0.12	26500	23850	21200	18550	15900
				पीडब्ल्यूडी का पुनर्वास	सं.	0.12	9000	8100	7200	6300	5400

			ईई पर सर्विस सपोर्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज (ईईएमएमपी) मॉडल का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।	व्यय वित्त समिति और कैबिनेट नोट तैयार करने और सभी संबंधित अधिकारियों को उसके प्रचलन की स्वीकृति	तारीख	0.24	31-03-2010	-	-	-	-
6	औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना।	11	श्रमिकों को राहत एवं लाभ प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन	निरीक्षण किया गया	सं.	0.22	41000	40000	38000	30000	26000
				अनियमितता तथा रोजगार प्रदाताओं को तय सीमा के भीतर दंडात्मक कार्यवाही से बचने हेतु सुधार करने की सलाह देने की औपचारिक नोटिस जारी करने में लिया गया समय	सं.	0.11	4	5	7	10	15
				अनियमितताओं को नहीं सुधारने हेतु अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज करने में लिया गया समय।	सं.	0.11	100	150	200	250	364
			औद्योगिक विवादों का निबटारा	वह समय जिसमें समझौता, मध्यस्तता तथा सामाजिक संवाद के जरिए निपटारा संपन्न हुआ।	सं.	0.22	40	60	70	80	90
				समझौता असफलता (एफओसी) रिपोर्ट सौंपने का समय, जहां कोई आगामी निपटारा न हो।	सं.	0.22	5	7	10	12	15

			केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु कम्प्यूटरों	कंप्यूटर प्रदान किए गए	सं.	0.22	100	90	80	70	60
			केंद्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के अधिकारियों का प्रशिक्षण।	अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया	सं.	0.11	140	120	108	100	100
7.	कर्मचारियों की सुरक्षा दशाएं एवं सुरक्षा उन्नत बनाना	11	श्रमिकों की सुरक्षा दशाओं एवं सुरक्षा बेहतर बनाना और फैक्टरियों तथा गोदियों में कार्यशील दशाएं एवं सुरक्षा में सुधार	डायरेक्ट्रेट जेनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस एंड लेबर इंस्टीट्यूट (डीजीएफएएसएलआई) के सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट (सीएलआई) और रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट (आरएलआई) स्थिति विभिन्न प्रयोगशालाओं का समुन्नयन	रु. (करोड़ में)	0.22	2.30	2.25	2.00	1.75	1.50
				डीजीएफएएसएलआई द्वारा अध्ययनों/सर्वेक्षणों का आयोजन	सं.	0.22	50	45	42	38	35
				प्रमुख बंदरगाहों में प्रवर्तन संबंधी क्रियाकलाप (जहाजों, कंटेनरों आदि का निरीक्षण)	सं.	0.11	2650	2385	2120	2000	1885
				रेस्पिरेटरी और नॉन-रेस्पिरेटरी पीपीई की जांच	सं.	0.11	650	630	575	540	525

			खदानों में कार्यशील दशाओं में सुधार।	डायरेक्ट्रेट जेनरल माइंस सेफ्टी (डीजीएमएस) द्वारा निरीक्षण	सं.	0.22	6500	6000	5750	5250	5000
				डीजीएमएस द्वारा पूछताछ	सं.	0.22	1200	1080	960	900	840
				डीजीएमएस में खानों के प्रबंधक, सर्वेयर और अन्य खानों के अधिकारियों की योग्यता का प्रमाण पत्र प्रदान किया	सं.	0.11	620	575	525	475	425
*	आरएफडी प्रणाली का कार्यक्षम संचालन	5	अनुमोदन हेतु प्रारूप समय से जमा किया जाना	समय पर प्रस्तुत करने में विलंब (नियत तारीख 29 नवम्बर, 2009 से)	संख्या	2.0	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00
			परिणामों को समय पर जमा करना।	समय पर प्रस्तुत करने में विलंब (नियत तारीख 30 अप्रैल, 2010 से)	संख्या	2.0	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00
			रणनीतिक योजना को अंतिमीकृत करना	अगले 5 वर्षों (देय तिथि से 12 फ़रवरी, 2010) के लिए रणनीतिक योजना की कार्य योजना को अंतिम रूप देने में देरी	संख्या	1.0	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00

*** अनिवार्य उद्देश्य(यों)**

खण्ड 3

क्र. सं.	उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 07/08 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 08/09 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 09/10 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 10/11 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए अनुमानित मूल्य
	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपायों का संवर्धन करना।	15	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का क्रियान्वयन	शामिल किए गए	सं.	-	105	180	300	400
				जारी किए गए स्मार्ट कार्ड	सं. (करोड़	-	0.40	1.08	1.8	2.4
				अध्ययन का समापन और कार्य योजना का निर्माण	तारीख	-	-	31.03.2010	-	-
			बीड़ी श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन	बीड़ी बनाने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति मंजूर	सं. (लाख में)	15	15.5	15	16.5	17
				घर बनाने के लिए अनुदान की मंजूरी	सं.	53386	35354	26073	31000	34000
				योजना के क्रियान्वयन के मूल्यांकन के लिए	तारीख	-	-	31.03.2010	-	-
	संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।	11	कर्मचारियों की राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के क्रियान्वयन की दक्षता बढ़ाना	नये केन्द्र खोले	सं.	37	46	50	60	65
				राज्य सरकार के अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों सहित कुल बिस्तरों की संख्या में वृद्धि	सं.	59	12	95	350	350
				चिकित्सा कर्मियों (डॉक्टरों) में वृद्धि	सं.	139	-	700	500	500
				ईएसआईसी और ईएसआईसी मॉडल अस्पतालों के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आईएसओ प्रमाणन हासिल करना	सं.	4	44	11	8	-

			कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना	वृद्धावस्था लाभ (30 दिनों के अन्दर दावों के निस्तारण का प्रतिशत)	%	73.48	63.76	80	80	80
				प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि	सं.	60124	40361	38000	45000	50000
				सदस्यता में वृद्धि	सं.	514768	21527771	2200000	2500000	2600000
				कम्प्यूटरीकृत कार्यालयों की संख्या	सं.	-	-	25	119	0
	संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन करना।	15	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का संचालन	विशेष स्कूलों में नामांकित बच्चे	सं.	50,000	30,000	22500	50000	100000
				विशेष स्कूलों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा	सं.	50,000	30,000	18000	50000	100000
				एनसीएलपी में शामिल स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निगरानी और बेंच मार्किंग का विकास	तारीख	-	-	31.03.2010	-	-
			बाल श्रम उन्मूलन के लिए भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का कन्वर्जेन्स	एनसीएलपी और बाल श्रमिकों के अभिभावकों सहित उसके लाभार्थियों तक विस्तारित की गई कल्याण योजनाओं की संख्या	सं.	1	1	1	1	1
	कौशल विकास को बढ़ावा देना	20	आईटीआई'ज को घरेलू वित्तपोषण द्वारा उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के रूप में	जारी की गई धनराशि	रु. (करोड़ में)	35.69	25.77	14.4	-	-

			विश्व बैंक की सहायता से आईटीआई'ज को सीओई के रूप में	जारी की गई धनराशि	रु. (करोड़ में)	234.46	219.89	216.00	240.00	248.65
			सरकारी आईटीआई'ज का सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा उन्नयन	आईटीआई की आईएमसी सोसाइटियों को ब्याज मुक्त लोन प्रदायन	रु. (करोड़ में)	750.00	749.99	675.00	750.00	490.00
			कौशल विकास कार्यक्रम के तहत मॉडुलर एम्प्लॉयबल स्किल्स	एमईएस के तहत प्रशिक्षण पाने वाले लोग	सं.	22528	115306	108000	3,00,000	5,20,000
			पूर्वोत्तर के राज्यों एवं जम्मू कश्मीर में आईटीआई'ज का उन्नयन एवं स्थापना।	सिक्किम में 2 आईटीआई और असम में 1 आईटीआई की स्थापना की परियोजना को पूरा करने के लिए जारी धन	रु. (करोड़ में)	21.01	21.94	4.97	--	--
				जम्मू में एक नए महिला आईटीआई की स्थापना और जम्मू एवं कश्मीर में 37 मौजूदा आईटीआई का सुदृढ़ीकरण (चालू योजना) की परियोजना को पूरा करने के लिए जारी धन	रु. (करोड़ में)	7.57	7.99	11.48	--	--

			महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना	लंबी अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने के लिए महिलाओं की संख्या	सं.	3200	3300	3285	3700	3800
				कम अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने के लिए महिलाओं की संख्या	सं.	2800	3000	3150	3600	3700
			सम्बद्धता हेतु सभी आवेदनों का निस्तारण किया जाना।	बैठने की क्षमता में वृद्धि	सं.	98176	124540	1,35000	1,70,000	1,90,000
	रोजगार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना	12	राष्ट्रीय रोजगार नीति का प्रतिपादन	मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट के लिए अंतिम नोट भेजा जा रहा है	तारीख	--	--	31.03.2010	--	--
			रोजगाररत व्यक्तियों पर रिपोर्ट तैयार किया जाना	रिपोर्ट की तैयारी की शुरूआत	तारीख	--	--	31.03.2010	--	--
			कोचिंग, मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के नौकरी के इच्छुकों का	रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/ जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को व्यावसायिक और कैरियर संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध कराना	सं.	130000	130000	121000	153000	155000

			कल्याण	रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/ जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्ति की प्रतीक्षा अवधि के दौरान टाइपिंग और शॉर्टहैंड का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना	सं.	1000	1000	9450	11000	11900
				प्रतियोगी परीक्षाओं/ ग्रेड सी पदों के लिए सेलेक्शन टेस्ट के लिए अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीदवारों को तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना	सं.	1100	1100	990	1150	1190
				अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगार इच्छुक व्यक्तियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना	सं.	680	80	900	1000	1000
			निःशक्तों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी) तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाओं (एसटीडब्ल्यू) एवं ग्रामीण	वीआरसी की भर्ती	सं.	25000	26000	25200	28000	30000
				प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन पूरा हुआ	सं.	24700	25500	23850	27500	29500
				पीडब्ल्यूडी का पुनर्वास	सं.	8000	8500	8100	9500	10000

			ईई पर सर्विस सपोर्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज (ईईएमएमपी) मॉडल का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	व्यय वित्त समिति और कैबिनेट नोट तैयार करने और सभी संबंधित अधिकारियों को उसके प्रचलन की स्वीकृति	तारीख	--	--	31.03.2010	--	--
	औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना।	11	श्रमिकों को राहत एवं लाभ प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन	निरीक्षण किया गया	सं.	40322	39376	40000	41000	41000
				अनियमितता तथा रोजगार प्रदाताओं को तय सीमा के भीतर दंडात्मक कार्यवाही से बचने हेतु सुधार करने की सलाह देने की औपचारिक नोटिस जारी करने में लिया गया समय।	सं.	-	-	5	4	4
				अनियमितताओं को नहीं सुधारने हेतु अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज करने में लिया गया समय।	सं.	--	--	150	150	150
			औद्योगिक विवादों का निबटारा	वह समय जिसमें समझौता, मध्यस्तता तथा सामाजिक संवाद के जरिए निपटारा संपन्न हुआ।	सं.	--	--	60	50	50

				समझौता असफलता (एफओसी) रिपोर्ट सौंपने का समय, जहां कोई आगामी निपटारा न हो।	सं.	--	--	7	6	6
			केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) के कार्यालयों के	कंप्यूटर प्रदान किए गए	सं.	135	128	90	100	125
			केंद्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के अधिकारियों [illegible]	अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया	सं.	250	147	120	140	140
	कर्मचारियों की सुरक्षा दशाएं एवं सुरक्षा उन्नत बनाना	11	श्रमिकों की सुरक्षा दशाओं एवं सुरक्षा बेहतर बनाना और फैक्टरियों तथा गोदियों में कार्यशील दशाएं एवं सुरक्षा में सुधार	डायरेक्ट्रेट जेनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस एंड लेबर इंस्टीट्यूट (डीजीएफएएसएलआई) के सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट (सीएलआई) और रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट (आरएलआई) स्थिति विभिन्न प्रयोगशालाओं का समुन्नयन	रु. (करोड़ में)	1.30	1.31	2.25	2.5	2.75
				डीजीएफएएसएलआई द्वारा अध्ययनों/सर्वेक्षणों का आयोजन	सं.	27	40	45	50	52

				प्रमुख बंदरगाहों में प्रवर्तन संबंधी क्रियाकलाप (जहाजों, कंटेनरों आदि का निरीक्षण)	सं.	3077	2293	2385	2750	2850
				रेस्पिरेटरी और नॉन-रेस्पिरेटरी पीपीई की जांच	सं.	380	262	630	700	750
			खदानों में कार्यशील दशाओं में सुधार।	डायरेक्ट्रेट जेनरल माइंस सेफ्टी (डीजीएमएस) द्वारा निरीक्षण	सं.	5967	6086	6000	6700	6900
				डीजीएमएस द्वारा पूछताछ	सं.	1065	1039	1080	1250	1300
				डीजीएमएस में खानों के प्रबंधक, सर्वेयर और अन्य खानों के अधिकारियों की योग्यता का प्रमाण पत्र प्रदान किया	सं.	382	624	575	620	620
	आरएफडी प्रणाली का कार्यक्षम संचालन	5	अनुमोदन हेतु प्रारूप समय से जमा किया जाना	समय पर प्रस्तुत करने में विलंब (नियत तारीख 29 नवम्बर, 2009 से)	संख्या	23	20	125	23	25
			परिणामों को समय पर जमा करना।	समय पर प्रस्तुत करने में विलंब (नियत तारीख 30 अप्रैल, 2010 से)	संख्या	23	20	23	23	23

			रणनीतिक योजना को अंतिमीकृत करना	अगले 5 वर्षों (देय तिथि से 12 फ़रवरी, 2010) के लिए रणनीतिक योजना की कार्य योजना को अंतिम रूप देने में देरी।	संख्या	23	40	32	23	23

*** अनिवार्य उद्देश्य(यों)**

खण्ड 4

सफलता सूचकों के विवरण एवं परिभाषा तथा प्रस्तावित मापन पद्धति

सफलता सूचकों के विवरण एवं परिभाषाएं, गतिविधियों के सापेक्ष इंगित हैं। मापन पद्धति दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार है।

औद्योगिक विवादों की **रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाने** के लिए उद्देश्यों के सापेक्ष सफलता के सूचकों का मूल्यांकन, क्षेत्र में प्रत्येक अधिकारी की मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट के माध्यम से किया जाएगा।

आरएसबीवाईः असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (पांच लोगों की यूनिट) के लिए **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना,** जिसके अंतर्गत स्मार्ट कार्ड के आधार पर रू. 30,000 तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है, 01.04.2008 से लागू हुई। यह स्कीम, प्रवासी श्रमिकों हेतु कार्ड मूल्य को विभाजित करते हुए स्मार्ट कार्ड की पोर्टेबिलिटी सुविधा प्रदान करती है। लाभार्थी, बीमा पैकेज प्रदान करने के लिए सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों के सेवाप्रदाताओं को सम्मिलित करते हुए बनाए गए पैनल में शामिल पूरे देश के किसी भी अस्पताल (सरकारी/निजी) में उपचार हेतु पात्र होता है। इसमें कोई आयु सीमा नहीं है, इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को भी कवर किया गया है। प्रीमियम में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में साझेदारी की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में प्रीमियम में 90:10 के अनुपात में साझेदारी की जाती है। चूंकि यह स्कीम, राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, इसलिए राज्यों की सहभागिता अनिवार्य है। परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने में राज्य सरकारों को सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने निविदा दस्तावेज, संविदा दस्तावेज, लाभार्थियों के नामांकन हेतु टेम्पलेट आदि मॉडल दस्तावेज तैयार किए हैं। राज्य सरकारों को स्कीमों के लाभों के प्रति सहमत कराने के लिए मंत्रियों/उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ श्रृंखलाबद्ध बैठकें आयोजित की गईं। योजना की सफलता, राज्यों द्वारा प्रीमियम के राज्यांश का योगदान करने के लिए वचनबद्धता, विनिर्दिष्ट टेम्पलेट में बीपीएल आंकड़े तैयार करने, और आरएसबीवाई के अंतर्गत नामांकन हेतु क्षेत्रीय मुख्य अधिकारी उपलब्ध कराने के रूप में उनके सहयोग पर ही मुख्य रूप से निर्भर करती है।

बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्तिः बीड़ी श्रमिकों के ऐसे बच्चे जो कक्षा 1 या इससे ऊपर (पीजी और प्रोफेशनल डिग्रियां) में पढ़ रहे हैं, उन्हें रू. 250 से लेकर रू. 8000 तक प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। संबंधित कल्याण आयुक्त, आवेदन पत्रों की छंटनी करते हैं और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए स्वीकृति आदेश निर्गत करते हैं। यह छात्रवृत्ति, संबंधित

स्कूल/कॉलेज के प्रधानाध्यापक के नाम से जारी बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में दी जाती है या इसे व्यक्ति के बचत बैंक खाते में जमा किया जाता है।

बीडी श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं : बीडी श्रमिकों और उनके परिवारों को उन विविध स्थानों पर स्थित 204 डिस्पेंसरियों तथा 07 अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जहां बीड़ी श्रमिक संकेंद्रित हैं। श्रमिकों को अन्य विविध सुविधाएं, जैसे कि मातृत्व लाभ, परिवार कल्याण सुविधाएं, हृदय रोगों के लिए प्रतिपूर्ति (रू. 1.30 लाख), गुरदा प्रत्यारोपण के लिए रू. 2.00 लाख तक, कैंसर, छोटे ऑपरेशनों के लिए रू. 30,0000/- तपेदिक, कुष्ठ एवं मानसिक रूग्णता इत्यादि के लिए। लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित श्रमिक को विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में संबंधित कल्याण आयुक्त के समक्ष आवेदन करना होता है।

बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास अनुदानः बीड़ी श्रमिकों हेतु पुनरीक्षित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस) के अंतर्गत, व्यक्तिगत बीड़ी श्रमिकों, सहकारी सामूहिक आवास समितियों, और राज्य सरकार द्वारा मकानों के निर्माण के लिए दो समान किश्तों में रू. 40,000 की अनुदान राशि प्रति आवास प्रदान की जाती है। प्रस्तावों को प्रक्रमित किया जाता है, मकानों के निरीक्षण किए जाते हैं तथा औचक निरीक्षण भी किए जाते हैं। 31 मार्च, 2010 तक स्वीकृत मकानों की संख्या, तथा मकानों के निर्माण हेतु अवमुक्त अनुदान राशि, सफलता के सूचक हैं। सफलता, राज्य सरकारों तथा व्यक्तिगत बीड़ी श्रमिकों से श्रम कल्याण संगठनों के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त आवास प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करती है और मकानों के निर्माण की प्रगति से राज्य सरकार/व्यक्तिगत श्रमिकों/सहकारी सामूहिक आवास समितियों द्वारा श्रम कल्याण संगठनों के माध्यम से अवगत कराया जाता है। स्वीकृत मकानों की संख्या, तथा अवमुक्त की गई अनुदान राशि, सरकार द्वारा स्वीकृत बजट पर निर्भर करती है क्योंकि यह आयोजनेत्तर क्रियाकलाप है।

उद्देश्य 6 (औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना), कार्यवाही 3, के अंतर्गत उल्लेखित **कम्प्यूटरीकरण हेतु कम्प्यूटरों का प्राविधान निम्न रूप में लाभप्रद होगाः**

क) निरीक्षणों, न्यायिक वादों, अधिनिर्णयों के क्रियान्वयन, विवादों के निबटारे, उपादान मामलों के भुगतान, दावा मामले, उपादान मामले (के भुगतान) इत्यादि के संबंध में डेटा बेस का संरेखण एवं पुनर्प्राप्ति, जो सीआईआरएम अधिकारियों की कार्यदक्षता एवं निष्पादन बढ़ाएगा।

ख) फॉलो-अप तथा उपचारात्मक कार्यवाही को व्यवस्थित करना

खण्ड 5

सहमतिप्राप्त परिणाम प्रदान करने के लिए महत्त्वपूर्ण, अन्य विभागों से विशिष्ट निष्पादन अपेक्षाएं

लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना, व्यापक रूप में एकीकृत वित्त प्रभाग/व्यय विभाग द्वारा फाइलों के प्रभावी निस्तारण तथा डीओपीटी/यूपीएससी द्वारा रिक्तियों को भरे जाने, एवं जहां आवश्यक हो, मानवशक्ति बढ़ाने के लिए व्यय विभाग द्वारा अनुमोदन पर निर्भर करेगा।

श्रम एक 'समवर्ती' विषय है। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि मंत्रालय के सरोकार क्षेत्र, वही क्षेत्र हैं जिनमें राज्य सरकारों द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई जाती है, जिन्हें मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित स्कीमों के तहत संसाधन भी आवंटित किए जाते हैं। यद्यपि विविध क्रियान्वयन पहलुओं पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों का दौरा करने के समय उनके साथ चर्चाओं, तथा क्षेत्रीय अधिकारी योजना के माध्यम से राज्य सरकारों से नियमित संपर्क रखा जाता है, लेकिन मंत्रालय के विविधा उद्देश्यों/क्रियाकलापों के अंतर्गत अनेक सफलता सूचकों की प्राप्ति, राज्य की प्रतिक्रिया तथा उनके द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

उद्देश्य 3- संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन किया जाना- के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति में रूकावटें

1. संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से निकाले गए बाल श्रमिकों हेतु, बच्चों का विशेष स्कूलों में नामांकन, एनसीएलपी स्कीम में स्थापित मानदंडों के अंतर्गत एनसीएलपी समितियों द्वारा आयोजित सर्वेक्षण तथा किसी विशेष स्कूल हेतु ऐसे बच्चों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है।

2. चौदह वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले अनेक बच्चे हैं जो अपनी शिक्षा जारी रखने का विकल्प चुनने के बजाय रोजगार/स्व-रोजगार का विकल्प चुनते हैं।

3. विभिन्न राज्य अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम अपनाते हैं। किसी राज्य विशेष में स्थित एनसीएलपी स्कूलों में एकसमान पाठ्यक्रम अपनाने के लिए, राज्य श्रम विभाग द्वारा राज्य शिक्षा विभाग से सलाह लेते हुए पहल की जानी है। इसे ध्यान में रखा जाएगा कि विशेष स्कूलों में नामांकित, किसी विशेष श्रेणी से संबंधित तथा नगण्य

शैक्षिक पृष्ठभूमि या इससे रहित बच्चे किसी राज्य विशेष में स्कूलों हेतु विनिर्दिष्ट सामान्य शैक्षणिक पाठ्य पुस्तकें अपनाने की स्थिति में नहीं होते। इसके अतिरिक्त, इसके लिए विविध स्तरों पर कन्वर्जेन्स की अपेक्षा है।

4. विविध मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का एक लक्षित समूह होता है जिस पर योजना लागू होती है, तथा बाल श्रमिकों एवं उनके परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए, योजना में संशोधन आवश्यक हो सकते हैं। योजनएं संशोधित करने के लिए विविध सरकारी एजेंसियों, जैसे कि योजना आयोग, व्यय वित्त समिति/राज्य वित्त समिति आदि से मंजूरी आवश्यक होती हैं। इसमें 3 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग सकता है। जैसा कि ज्ञात है कि बाल श्रमिक, निर्धनता का परिणाम होता है और मध्यम अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी-रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, और इस जनसंख्या के दस प्रतिशत भाग तक भी पहुंचने के लिए अत्यन्त व्यापक प्रयासों की आवश्यकता होगी।

उद्देश्य 4- कौशल विकास को बढ़ावा देना- के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति में रूकावटें

1. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशियों का अवमुक्त किया जाना, राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर निर्भर है।
2. आईटीआई, सीधे राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं और सभी में उन्नयन/आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है इसलिए प्रासंगिक तिथि के अभाव में प्रशिक्षण या नियोजन से लाभान्वित व्यक्तियों का अनुश्रवण संभव नहीं है। इस प्रयोजन से एमआईएस विकसित किया जा रहा है।
3. एमईएस के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति, वित्त मंत्रालय द्वारा रू. 60.0 करोड़ प्रदान किए जाने पर निर्भर है।

4. पीपीपी के माध्यम से सरकारी आईटीआई'ज के उन्नयन की योजना के तहत ब्याज रहित ऋण का अवमुक्त किया जाना, वित्त मंत्रालय द्वारा पुनरीक्षित की जा रही योजना में व्यय प्राविधानों पर निर्भर होगा।

उद्देश्य 2- संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना- के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति में रूकावटें

1. कार्यवाही 1 के संदर्भ में सफलता सूचक (i) और (ii), लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपेक्षित राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सा अवसंरचनाएं निर्मित करने के निर्णय पर निर्भर होंगे।

2. कार्यवाही 2 के संदर्भ में सफलता सूचक (ii) और (iii), की प्राप्ति, समग्र आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर होगी, जो प्रतिष्ठानों की कवरेज तथा सदस्यता में वृद्धि से सीधे संबंधित है।

उद्देश्य 7- श्रमिकों की सुरक्षा दशाएं, तथा सुरक्षा में सुधार करना -के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति में रूकावटें

1. डीजीएफएएसएलआई द्वारा कार्यवाही 1 के संदर्भ में निरीक्षणों की संख्या से संबंधित सफलता सूचक (iii) प्रमुख बंदरगाहों पर पहुंचने वाले कार्गो जहाजों की संख्या पर निर्भर होगा, जिसमें हाल ही में एक गिरावट का रूझान देखा गया है।

2. डीजीएफएएसएलआई द्वारा कार्यवाही 1 के संदर्भ में अध्ययनों, सर्वेक्षणों तथा निरीक्षणों के आयोजन से संबंधित सफलता सूचक (ii) तथा (iii) मानवशक्ति बढ़ाने पर निर्भर होंगे, जिसके लिए मामले को व्यय विभाग के समक्ष रखा किया गया है।